RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार, 30 सितम्बर - 06 अक्टूबर 2023 | भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष-12 | अंक- 01 | पृष्ठ-8 | मूल्य- रु. 5/-

अक्टूबर से जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नईदिल्ली। एक अक्टूबर से कई बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसमें टीसीएस नया डेबिट और क्रेडिट कार्ड एसबीआई की स्पेशल एफडी डेडलाइन ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी 2000 रुपये का नोट और SIP में होगी टाइम लिमिट शामिल हैं। इन नियमों में बदलाव का आपकी जेब पर सीधा असर होगा। हर महीने की शुरुआत के साथ कुछ बदलाव होते हैं, जिनका हमारी जेब पर सीधा असर होता है। इसमें टीसीएस, स्पेशल एफडी, नया डेबिट कार्ड और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी जैसे नियम बदल रहे हैं। आइए जानते हैं।

टीसीएस का नया नियम: सरकार की ओर से टैक्स क्लेकशन एट सोर्स यानी टीसीएस को लेकर नया नियम बनाया गया है, जोकि एक अक्टूबर, 2023 से लागू हो रहा है। इस नियम के लागू होने के बाद आप एक सीमा से अधिक विदेशी यात्रा या फिर विदेशी शेयरों, म्यूचुअल फंड्स आदि में निवेश करते हैं तो आपको टीसीएस भरना होगा। आरबीआई की एलआरएस के तहत 2.50 लाख डॉलर एक वित्त वर्ष में कोई व्यक्ति विदेश भेज सकता है। एक अक्टूबर, 2023 से सात लाख रुपये से अधिक भेजे जाने वाले पैसों पर आपको 20 प्रतिशत टीसीएस भरना होगा।

नया डेबिट और क्रेडिट कार्ड रूल : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के मुताबिक, अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेने वाला व्यक्ति अपने कार्ड के नेटवर्क जैसे रुपे, वीजा और मास्टरकार्ड आदि में से किसी को चुन सकता है। इससे पहले बैंक या वित्तयी संस्था की ओर से ही तय किया जाता था कि किस नेटवर्क का कार्ड यूजर को दिया जाएगा।

क्या है टीसीएस का नया नियम ? : भारतीय रिजर्व बैंक की एलआरएस के तहत कोई भी भारतीय नागरिक एक वित्त वर्ष में 2.50 लाख डॉलर विदेश भेज सकता है। लेकिन एक अक्टूबर, 2023 से 7 लाख रुपये से अधिक की राशि विदेश भेजने पर 20 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा। हालांकि, मेडिकल और शिक्षा के लिए भेजे जा रहे पैसे को इससे अलग रखा गया है। एक अक्टूबर के बाद टीसीएस का नया नियम लागू होने के बाद अगर आप 7 लाख रुपये से अधिक का विदेश यात्रा का पैकेज लेते हैं तो 20 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा। वहीं, 7 लाख रुपये से कम का पैकेज लेने पर आपको 5 प्रतिशत का टीसीएस देना होगा।

विदेश में पढ़ाई पर खर्च

अगर आप 7 लाख रुपये से कम विदेश में पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं तो टीसीएस नहीं लगेगा। वहीं, अगर आप किसी फाइनेंसियल संस्था से लोन लेकर विदेश में पढ़ाई करते हैं तो 0.5 प्रतिशत टीसीएस और बिना लोन के 5 प्रतिशत टीसीएस लगेगा।

SIP में होगी टाइम लिमिट

नेशनल ऑटोमेटिक क्लेरिंग हाउस की ओर से 18 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें एसआईपी के लिए अधिकतम पीरियड 30 वर्ष तय किया गया है। ये नियम एक अक्टूबर से लागू हो रहा है।

ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी

ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी एक अक्टूबर से लगना शुरु हो जाएगा। इसके लिए संसद से मंजूरी मिल गई है। ऑनलाइन गेमिंग के साथ हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर भी इसी दर से जीएसटी लगेगा। एक अक्टूबर से टैक्स क्लेकशन के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव किसी भी भारतीय नागरिक की ओर से विदेश में किए जाने वाले खर्च पर पड़ेगा। अगर आप विदेश में यात्रा करने या फिर विदेशी संपत्तियों में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो टीसीएस के इन बदलावों को जान लेना चाहिए।

BNI ROYAL
Bhopal

BNI Bhopal is launching it's
7th Chapter Soon

Are You

- Looking to grow your Business
- Looking to build your Business Network
- Passionate about your Business Growth
- Looking to increase your Sales and Marketing team

Changing the way Bhopal does Business

GLOBALLY
77 Countries
3,05,984 Members
10,946 Chapters
13.4 M Referrals
20.3 B Generated Business

IN INDIA
121 Cities
50,830 Members
1080 Chapters
13.4 M Referrals
20.3 B Generated Business

IN Bhopal
220 Members
6 Chapters
10,000+ Referrals
450 Cr+ Generated Business

For More Info. Please Contact

Sanjay Baranwal
Launch Ambassador
Mob.94250 07922

Arun Wagadre
Launch Ambassador
Mob. 90390 05013

Richa Pandey
Operation Head
Mob. 9617500991

घर लेते समय होम लोन के लिए कौन-कौन से लगते हैं चार्जेज

भोपाल। आप घर लेने जा रहे हैं, तो होम लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए आपको कुछ चार्जेज भी देने होते हैं। आज के दौर में कई बैंक होम लोन देने की कतार में हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके चार्ज अलग-अलग होते हैं। आपके लिए यह अच्छा होगा कि होम लोन से पहले आप इन बातों पर विचार कर लें। इससे आप यह आसानी से तय कर सकेंगे कि कौन से बैंक या संस्थान से लोन लेना आपके लिए लाभदायक है। आइए उन चार्जेज के बारे में जानते हैं।

ऐप्लिकेशन फीस: यह फीस आपके होम लोन ऐप्लिकेशन की प्रोसेसिंग के लिए ली जाती है। इस फीस का आपको लोन मिले या न मिले, इससे कोई लेना-देना नहीं होता है और यह गैर वापसी होता है। अगर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में आप ऐप्लिकेशन जमा कर देते हैं और इसके बाद आपका इरादा बदल जाता है तो आपकी ऐप्लिकेशन फीस बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आवेदन देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन लेना है।

यह फीस माफ करवा सकते हैं : यह फीस लोन ऐप्लिकेशन के साथ ही अग्रिम ली जाती है। प्रोसेसिंग फीस गैर वापसी भी है। लेकिन, कुछ बैंक इस फीस के एक हिस्से को लोन ऐप्लिकेशन के साथ अदा करने और बाकी को लोन मिलने से पहले देने की सुविधा देते हैं। यह फीस या तो फ्लैट होती है या लोन के पर्सेंटेज के रूप में, इसका निर्धारण वित्तीय संस्थान या बैंक करता है। अगर बैंक चाहे तो इस शुल्क को माफ भी कर सकता है। आप अगर मैनेज करने में माहिर हैं तो इस फीस को माफ करवा सकते हैं या कम करवा सकते हैं।

मॉर्गिज डीड फीस: होम लोन का चुनाव करते समय यह एक बड़ा चार्ज है जो आपको अदा करना होता है। यह आमतौर पर होम लोन के पर्सेंटेज के रूप में होता है और लोन लेने के लिए अदा किए जाने वाली कुल फीस राशि का यह एक बड़ा हिस्सा होता है। कुछ संस्थान होम लोन प्रॉडक्ट को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इस चार्ज को माफ कर देते हैं।

लीगल फी: वित्तीय संस्थान आमतौर पर प्रॉपर्टी की कानूनी स्थिति की छानबीन के लिए बाहरी वकीलों को नियुक्त करते हैं। इसके लिए वकील जो फीस लेते हैं, वह वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों से वसूलते हैं। लेकिन, अगर इस प्रॉपर्टी को संस्थान ने पहले ही कानूनी रूप से मंजूरी दे दी है तो यह चार्ज नहीं लगता है। आपको संस्थान से पता करना चाहिए कि जिस प्रॉजेक्ट में आप निवेश करने जा रहे हैं, कहीं उसको पहले से मंजूरी मिली तो नहीं है। इस तरह से आप लीगल फी बचा सकते हैं।

प्रीपेमेंट पेनाल्टी

प्रीपेमेंट का मतलब है कि लोन धारक पूरा या बाकी लोन अवधि समाप्त होने से पहले ही जमा कर देता है। इससे बैंक को ब्याज दर का नुकसान होता है, इसलिए कुछ हद तक इस नुकसान की भरपाई के लिए बैंक पेनल्टी लगाते हैं। अलग-अलग बैंकों में ये चार्ज अलग होते हैं। यह लोन के टाइप पर भी निर्भर करता है। लेकिन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्लोटिंग इंट्रेस्ट रेट पर लिए गए होम लोनों पर प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं वसूलने का सभी बैंकों को निर्देश दिया है। फिक्स्ड रेट होम लोनों के लिए फ्लैट रेट पर प्रीपेमेंट पेनल्टी ली जाती है जो पहले अदा किए जाने वाली राशि का 2 फीसदी तक होती है। इसलिए अगर आप होम लोन का भुगतान अगर समय से पहले करना चाहते हैं तो आपको इस फैक्टर पर भी गौर करना होगा।

कमिटमेंट फीस

कुछ संस्थान लोन को प्रोसेसिंग और मंजूरी हो जाने के बाद एक निर्धारित समय अवधि के अंदर लोन नहीं लेने की स्थिति में कमिटमेंट फीस वसूलते हैं। यह एक ऐसी फीस है जो अवितरित लोन पर वसूली जाती है। उदाहरण के लिए, निर्माण से जुड़े लोन के लिए परियोजना समापन का चरण लोन वितरण के लिए अहम है। कर्ज देने वाले संस्थान आपके लिए इस लाइन ऑफ क्रेडिट को खुला रखते हैं लेकिन कुछ खास रकम वसूलते हैं जिससे कि आप भविष्य में यह लोन ले सके। यह फीस आमतौर पर मंजूर और वितरित राशि के बीच अंतर के एक फीसदी के रूप में वसूला जाता है। होम लोन लेने वालों के लिए ऊपर बताए गए चार्जों के बारे में जानना जरूरी होता है। इसके अलावा औसत चार्जों के बारे में जानकारी रहने से ज्यादा चार्ज वसूले जाने से बचा जा सकता है।

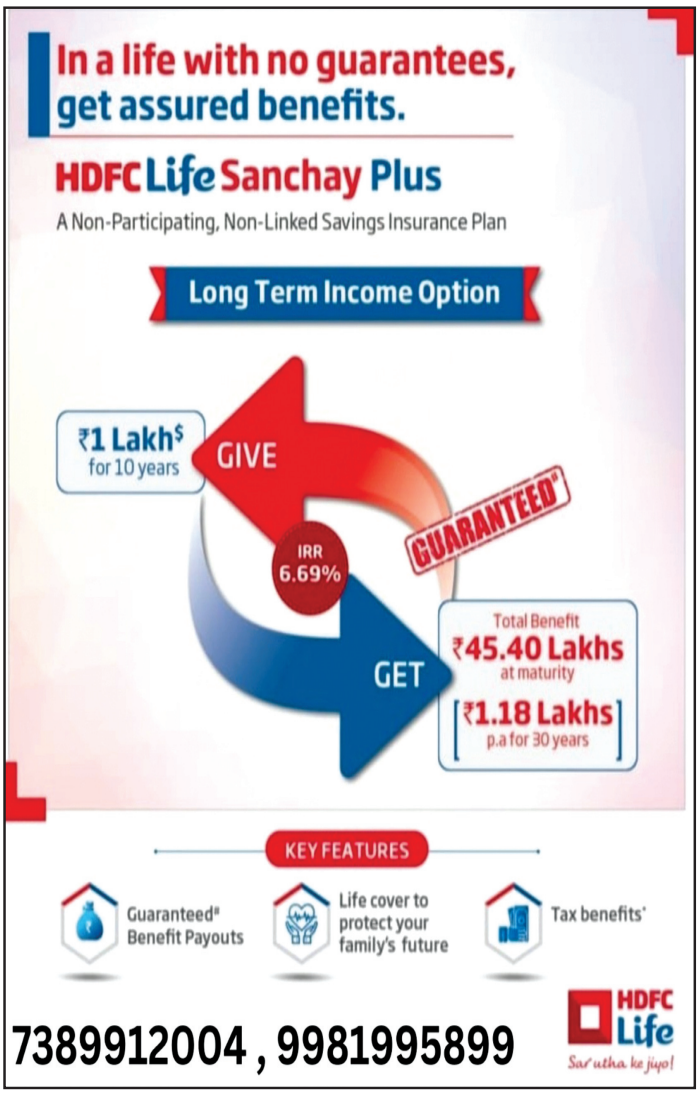

गोल्ड लोन क्या है?

गोल्ड लोन कैसे मिलता है...डॉक्यूमेंट, रेट पर ग्राम व प्रक्रिया

अक्सर ही लोगो को जरूरत पड़ने पर नगदी न होने के चलते लोन का सहारा लेना पड़ता है। लोन भी कई तरह के होते है, तथा लोन के बदले में आपको किसी चीज को सेक्योरिटी के लिए बैंक को देना होता है। ऐसे में यदि आपके पास गोल्ड है, तो लोन प्राप्त करना आपके लिए और भी आसान हो जाता है। गोल्ड लोन के जरिये आप बहुत ही आसानी से अपनी एमरजेंसी जरूरतों में कैश के लिए लोन ले सकते है। इसमें अधिक कागजी कार्यवाही भी नहीं की जाती है।

वह लोग जिन्हे नकद पैसे चाहिए होते है, उनके लिये गोल्ड लोन एक बेहतर विकल्प है। यहाँ पर आपको गोल्ड लोन क्या है, और गोल्ड लोन कैसे मिलता है, तथा गोल्ड लोन लेने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट, रेट पर ग्राम व प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे है।

- गोल्ड लोन क्या है
- गोल्ड लोन कैसे मिलता है
- गोल्ड लोन के लिए डॉक्यूमेंट
- गोल्ड लोन की ब्याज दर
- गोल्ड रेट पर ग्राम
- गोल्ड लोन प्रोसेसिंग शुल्क
- गोल्ड लोन का भुगतान न करने कि स्थिति में
- गोल्ड लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन

गोल्ड लोन क्या है

गोल्ड लोन को एक तरह का सिक्योर्ड लोन कहते है। इसमें आपको लोन की राशि प्राप्त करने के लिए सिक्योरटी के तौर पर अपने गोल्ड को गिरवी रखना होता है। लोन की राशि देने के पश्चात् बैंक आपके इस गोल्ड को एक सुरक्षित लॉकर में रख देता है। गोल्ड पर मिलने वाला लोन आपातकालीन और अल्पकालीन होता है, जिसे न्यूनतम समय के लिए प्रदान किया जाता है। यह एक तरह की आपातकालीन निधि है, जो ब्याज दर पर प्राप्त होती है। इस तरह के लोन को घर की मरम्मत, हायर एजुकेशन, ट्रैवल, मेडिकल इमरजेंसी, शादी-ब्याह और डाउनपेमेंट जैसे कार्यों को पूर्ण करने के लिया जाता है। गोल्ड एक उच्च मूल्यांकन वाली वस्तु है, जिसे कम से कम समय में नकदी के रूप में बदला जा सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों में गोल्ड लोन सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें सोने की प्योरिटी और वैल्यू के आधार पर ऋण मिलता है।

विशेषज्ञों के अनुसार गोल्ड लोन पर्सनल लोन की अपेक्षा काफी बेहतर है। जहां पर्सनल लोन की ब्याज दर काफी अधिक होती है, वही गोल्ड लोन का ब्याज थोड़ा कम होता है। न्यूनतम ब्याज दर और आसान प्रक्रिया के साथ यह एक फ्लेक्सिबल लोन है। आपको गोल्ड की वैल्युएशन के आधार पर गोल्ड राशि का 75 प्रतिशत तक लोन मिल जाता है।

गोल्ड लोन कैसे मिलता है

टैक्स और इन्वेस्टमेंट के विशेषज्ञ बलवंत जैन का कहना है, कि Banks या NBFCs के माध्यम से लोन लिया जा सकता है। इसमें बैंक आपको बेहतर ब्याज दर देता है, तो वही NBFCs आपको अधिक मात्रा में उधार दे सकता है। लोन लेने से पहले आप 4 से 5 जगह पर जाकर कम ब्याज दर की जानकारी ले सकते है, इससे आपको ऋण लेने में फायदा हो सकता है। NBFC मुख्य तौर पर कम समय में सोने के बदले लोन दे देता है। गोल्ड लोन लेने के लिए आप बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

गोल्ड लोन के लिए डॉक्यूमेंट

■आधार कार्ड ■पैन कार्ड (Pan Card) ■आय प्रमाण पत्र ■पहचान पत्र ■बिजली बिल या टेलीफोन बिल ■पासपोर्ट साइज फोटो

गोल्ड लोन की ब्याज दर

SBI अपने ग्राहकों को 7.50 प्रतिशत या उससे अधिक ब्याज पर 20,000 से लेकर 50 लाख तक का ऋण दे देता है।

Axis Bank का गोल्ड पर ब्याज दर 12.50 प्रतिशत आरम्भ होती है, जिसमे आवेदक 25,001 से लेकर 25 लाख तक लोन ले सकते है।

HDFC Bank में गोल्ड लोन पर ब्याज दर 9.50 फीसदी से आरम्भ होती है, तथा 25 हजार से लेकर असीमित राशि का ऋण मिल जाता है।

मुथूट फिनकॉर्प के गोल्ड लोन की ब्याज दर 11.99 प्रतिशत से शुरू होती है, तथा 15,000 रुपये से 50 लाख तक का लोन मिल जाता है।

ICICI Bank की ब्याज दर 10 प्रतिश से आरम्भ होती है, जिसमे आप 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक ऋण ले सकते है।

सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है ?

...गोल्ड रेट पर ग्राम...

आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते है, उस बैंक में आप अपना गोल्ड लेकर जाए।

इसके बाद बैंक का कर्मचारी आपके गोल्ड के शुद्धता की जाँच करता है। इसमें आपके गोल्ड की प्योरिटी, वजन और मार्केट वैल्यू के अनुसार उसका आंकलन किया जाता है।

गोल्ड लोन के आवेदन वाली तिथि में गोल्ड की मार्केट वैल्यू पता कर लोन की राशि सुनिश्चित की जाती है।

यदि आपने सोने के गहनों को गिरवी रखा है, तो केवल सोने वाले हिस्से का आँकलन कर ही राशि दी जाती है।

इसके अलावा गहनों में लगे दूसरे रत्नों का आंकलन नहीं किया जाता है।

यदि आपके पास 24 कैरेट गोल्ड के सिक्के है, तो यह सिक्के तभी मान्य होंगे जब इन्हे बैंक द्वारा जारी किया गया होगा।

गोल्ड लोन प्रोसेसिंग शुल्क

कुछ बैंक प्रोसेसिंग शुल्क के तौर पर लोन की राशि पर 1.5 प्रतिशत + GST लेते है 7 इस राशि को लोन लेने से पहले देना होता है। इसके अतिरिक्त बैंक वैल्यूएशन चार्ज भी लगता है, इसे गोल्ड की वैल्यू निकालने के बदले बैंक द्वारा लिया जाता है।

गोल्ड लोन का भुगतान न करने कि स्थिति में

यदि आप दिए गए समय में लोन की राशि को नहीं चुका पाते है, तो बैंक या लोन देने वाली संस्था द्वारा आपको एक फॉलो-अप रिमाइंडर भेजा जाता है, और जुर्माने के तौर पर लेट फीस भी लगती है। कुछ बैंक ब्याज दर के अलावा लेट फीस के रूप में 2 प्रतिशत का वार्षिक लेट चार्ज भी लगाती है।

रिमाइंडर्स के बाद भी यदि आप ऋण की राशि को नहीं चुकाते है, तो बैंक या अन्य संस्थाओं का आपके गोल्ड पर कानूनन अधिकार हो जाता है। जिसके बाद बैंक अपनी ऋण की वसूली के लिए गोल्ड की नीलामी करता है। समय पर ऋण न चुका पाना आपके सिबिल स्कोर व् क्रेडिट हिस्ट्री को ख़राब कर देता है।

गोल्ड लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन

सबसे पहले आप उस बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए जिस बैंक के आप ग्राहक है।

वेबसाइट के Home Page पर आपको Loan वाला सेक्शन मिल जायेगा।

इस सेक्शन में जाने पर आपको कई तरह के लोन के लिंक मिल जायेंगे।

इसमें आप Gold Loan वाले विकल्प पर क्लिक करे।

आपके सामने गोल्ड लोन से जुड़ी सभी जानकारी आ जाएगी।

जानकारियों को पढ़ने के पश्चात् आप Apply Now वाले लिंक पर जाए।

आपके सामने गोल्ड लोन का पेज आ जायेगा, इसमें आप महत्वपूर्ण जानकारियों को भरे, और संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि को स्कैन कर अपलोड करे दे।

इसके बाद बैंक द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार होने पर आपको अपने गहनों को बैंक ले जाना होता है।

बैंक में आपके गोल्ड की वैल्यू के आधार पर लोन जारी कर दिया जाता है, जिसे सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Timing is everything in investing, and it's Invest O'Clock now! Don't wait any longer - dive into SIP and let your money work for you.

खुशखबरी...पांच साल की पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा (आरडी) पर बढ़ी ब्याज दर

फेस्टिवल सीजन में देश की जनता को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है। ये खुशखबरी उन लोगों के लिए ज्यादा मायने रखती है जो लोग इंवेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसे में अब आरडी करवाने वाले लोगों को फायदा होने वाला है। दरअसल, मोदी सरकार ने दिवाली से पहले ही इंवेस्टमेंट से जुड़ा एक ऐसा ऐलान किया है, जिससे गरीब से लेकर अमीर तबके को भी फायदा होने वाला है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

मोदी सरकार ने दिसंबर तिमाही के लिए पांच साल की पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा (आरडी) पर ब्याज बढ़ा दिया है। इससे काफी लोगों को अब आरडी पर बढ़ा हुआ ब्याज मिलेगा। सरकार की ओर से अब पांच साल की आवर्ती जमा (आरडी) पर ब्याज को बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया है. ऐसे में जो लोग लंबे वक्त के लिए आरडी करवाएंगे, उन्हें ज्यादा ब्याज मिलेगा।

लघु बचत योजनाएं

वहीं दूसरी तरफ सरकार की ओर से अन्य लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर में बदलाव नहीं किया गया है. इनमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि स्कीम शामिल है, जिनकी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. दरअसल, सरकार की ओर से हर तिमाही में ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है. जिसके बाद सरकार की ओर से इनमें किए गए बदलाव का ऐलान किया जाता है.

ये है ब्याज

अब अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर 4 फीसदी, पोस्ट ऑफिस आरडी पर 6.7 फीसदी, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम पर 7.4 फीसदी, किसान विकास पत्र पर 7.5 फीसदी, पीपीएफ पर 7.1 फीसदी, सुकन्या समृद्धि योजना पर 8 फीसदी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7.7 फीसदी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.2 फीसदी ब्याज दिया जाएगा. ऐसे में लोग इन स्कीम से भी इंवेस्टमेंट कर सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए केंद्र सरकार ने रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी पर ब्याज दर में बढोतरी की है। 29 सितंबर को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, आरडी पर ब्याज दर में 0.2 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।

अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए केंद्र सरकार ने रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी पर ब्याज दर में बढोतरी की है। 29 सितंबर को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, आरडी पर ब्याज दर में 0.2 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। यानी कि अब 5 साल की आरडी पर 6.5 प्रतिशत की जगह पर 6.7 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर ब्याज की बौछार

हालांकि, आरडी को छोड़कर दूसरी सभी लघु बचत योजनाओं (Small Savings Scheme) पर ब्याज दरें जुलाई-सितंबर की तरह ही यथावत रखी गई हैं और उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि सबसे ज्यादा 8.2 प्रतिशत ब्याज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर दिया जा रहा है।

पिछली बार 2 स्कीम्स पर बढ़ाई थी ब्याज दर

वित्त मंत्रालय ने पिछली तिमाही में 2 स्मॉल सेविंग स्कीम्स (Small Savings Scheme) पर ब्याज दरें बढ़ाई थीं। इनमें पोस्ट ऑफिस की 1 साल की टाइम डिपॉजिट पर ब्याज दर 6.80 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.90 प्रतिशत की थी। इसके अलावा 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर रेट को 6.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया था। इसके अलावा 5 साल की पोस्ट ऑफिस आरडी पर ब्याज दर 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दी गई थी। बता दें कि सरकार की लघु बचत योजनाओं को लेकर सरकार हर तीन महीने में रिव्यू करती है।

किस स्मॉल सेविंग्स स्कीम में कितना ब्याज ?

स्कीम	पुरानी ब्याज दर	नई ब्याज दर
सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम	8.20 प्रतिशत	8.20 प्रतिशत
सुकन्या समृद्धि योजना	8 प्रतिशत	8 प्रतिशत
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC)	7.70 प्रतिशत	7.70 प्रतिशत
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट	7.50 प्रतिशत	7.50 प्रतिशत
किसान विकास पत्र (KVP)	7.50 प्रतिशत	7.50 प्रतिशत
मंथली इनकम स्कीम	7.40 प्रतिशत	7.40 प्रतिशत
पीपीएफ (PPF)	7.10 प्रतिशत	7.10 प्रतिशत
रिकरिंग डिपॉजिट (RD)	6.50 प्रतिशत	6.70 प्रतिशत
सेविंग्स अकाउंट	4 प्रतिशत	4 प्रतिशत

स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में आयोजित अगस्ट टॉक में बोले प्रदीप करम्बेलकर

स्टार्टअप शुरू करने से पहले एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होना बहुत आवश्यक

भोपाल। भारत लगातार विकास कर रहा है इसमें स्टार्टअप और इनोवेशन का बहुत बड़ा योगदान है। आने वाला समय भारतीय स्टार्टअप और भारतीय उद्यमियों का है। लगभग 5 साल पहले कौन जानता था कि एक ठेले पर सब्जी बेचने वाला पेटीएम के माध्यम से यूपीआई पेमेंट लेगा या एक चाय की दुकान पर 5 या 10 का छोटे से छोटा पेमेंट मोबाइल के माध्यम से स्कैन करके किया जाएगा। यह हमारे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप इनोवेशन का ही कमाल है। कि आज हम पूरी दुनिया को यूपीआई पेमेंट करना सिखा रहे हैं। यह कहना था स्टार्टअप मैंटर एवं विजन बिजनेस नेटवर्क के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप करम्बेलकर का जो स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में आयोजित अगस्ट टॉक में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। कार्यक्रम के द्वितीय वक्ता थिएटर आर्टिस्ट एवं डायरेक्टर शहर खान ने अभिनय की बारीकियां के बारे में बताया की किस प्रकार एक आर्टिस्ट को अभिनय की तैयारी करवाई जाती है। इस टाक शो का आयोजन रश्मि गोलया द्वारा किया गया था।

स्टार्टअप शुरू करने के टिप्स दिये

एक प्रश्न के उत्तर में करम्बेलकर ने बताया कि एक स्टार्टअप को शुरू करने के लिए पैसे की नहीं बल्कि एक ऐसे आइडिया की आवश्यकता होती है जो कि आमजन की समस्या का सॉल्यूशन अपने उत्पाद या सेवा के माध्यम से प्रदान करे। एक आईडिया एक स्टार्टअप का रूप ले सकता है और वह इन्वेस्टर को आकर्षित कर सकता है तथा एक इन्वेस्टर अपना पैसा लगाकर उसे एक उद्योग के रूप में परिवर्तित कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक एंटरप्रेन्योर रिस्क लेकर ही किसी बिजनेस को डेवलप करता है और उसे संचालित करता है। उद्यमिता एक माइंडसेट है जिसके माध्यम से आप अपने उद्योग का विकास कर सकते हैं इसलिए किसी भी स्टार्टअप को प्रारंभ करने से पहले एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होना बहुत आवश्यक है।

PLOT FOR SALE
Chhuna Bhatti, Bhopal.....Property Feature
Plot 45X105 sqf
West facing
Behind Dhanvantri Road
Chhuna Bhatti, Bhopal
VISION
INVEST TECH
PROPERTY
Call Us ; 9630095021
Mail: pankajjoshi35@gmail.com
Vision Invest Tech Private Limited, E 4 Arera Colony Near Datta Mandir, Bhopal
Branch Office: Plot 14-15, Rohit Nagar, Phase 1, Bhopal

संपादकीय

■अवनीश तिवारी | सहायक संपादक

फाईनेंशियल इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं तो आपको गोल्ड लोन सहायता कर सकता है

फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना करने के लिए गोल्ड लोन एक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए...

सबसे पहले, आपको आपके पास रखे गोल्ड ज्वेलरी का मूल्य जानना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि आपका गोल्ड अच्छा लाभप्रदान करेगा। आपको गोल्ड लोन की ब्याज दर को समझना होगा। यह ब्याज दर कई तरीकों से प्रकार जा सकता है, जैसे कि मासिक ब्याज दर या वार्षिक ब्याज दर। यह आपकी गोल्ड ज्वेलरी के मूल्य को प्रभावित कर सकता है।आपको गोल्ड लोन की विशेष शर्तों को समझना होगा, जैसे कि लोन की मुद्रा, वापसी की अवधि, और गोल्ड ज्वेलरी के खो जाने पर क्या होगा।

जब आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी को लोन के खिलाफ रखते हैं, तो आपको इसकी अच्छी तरह से सुरक्षित रखना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह चोरी नहीं होती है और इसका पूरी तरह से सुरक्षित वापसी किया जा सकता है। लोन को एक आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी का समाधान के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ध्यान दें कि यह एक ऋण है जिसे आपको वापस करना होगा, और इसमें ब्याज भी शामिल होगा। इसलिए, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार इसका उपयोग करें और आपके द्वारा लिया गया गोल्ड लोन के लिए ब्याज की चिन्ता करें। यदि संभव हो, तो आपको इसे समय पर वापस करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपके गोल्ड ज्वेलरी को हानि नहीं पहुँचे। गोल्ड लोन एक प्रकार का सुरक्षित वित्तीय विकल्प हो सकता है जब आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना करना हो, लेकिन इसका उपयोग समझदारी से करना महत्वपूर्ण है। यह ध्यान देने चाहिए कि गोल्ड लोन आपके क्रेडिट रेटिंग पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि यह एक सुरक्षित ऋण है। इसका मतलब है कि आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ावा नहीं मिलेगा, लेकिन आपके गोल्ड के ज्वेलरी की मूल्य को बचाने में सहायता मिलेगी। जब आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी को लोन के खिलाफ रखते हैं, तो आपको इसकी सुरक्षा का खास ख्याल रखना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह चोरी नहीं होती है और इसका पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है।

अगर आपको गोल्ड लोन की जरूरत है, तो आपको एक प्रमुख बैंक या गोल्ड लोन प्रदायक से संपर्क करना चाहिए और उनके शर्तों और ब्याज दरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यानपूर्वक योजना बनाएं और लोन के साथ सवधानी से काम करें, ताकि आपके लिए यह वित्तीय समस्या को हल करने का एक साफ और सुरक्षित रास्ता हो सके।

आखिर स्टार रेटिंग कैसे तय होती है? निवेश से पहले जान लें

भोपाल। म्यूचुअल फंड में अक्सर देखते हैं कि स्कीम्स को 1 से लेकर 5 के बीच स्टार रेटिंग मिली हुई होती है। जबकि कुछ फंड्स बिना स्टार रेटिंग के होते हैं। दरअसल, ये रेटिंग्स किसी फंड के रिस्क और लागत को ध्यान में रखते हुए उसका अपनी कैटेगरी में कितनी बेहतर स्थिति में है, उस आधार पर दिया जाता है। लेकिन यह जान लें कि स्टार रेटिंग स्थायी नहीं है। आज का स्टार रेटिंग फंड कल टॉप पर नहीं हो सकता है। हम यहां समझते हैं कि स्टार रेटिंग कैसे तय होती है।

1-5 की स्टॉर रेटिंग

म्यूचुअल फंड स्कीम्स की 1 से 5 के बीच स्टार रेटिंग होती है। अलग-अलग कंपनियों की अलग रेटिंग होती है।

समान कैटेगरी में तुलना

फंड के रिस्क एडजस्टेड प्रदर्शन पर तुलना की जाती है। इसमें समान कैटेगरी के फंड से तुलना होती है। कम रिस्क के साथ बढ़िया रिटर्न को अच्छी रेटिंग मिलती है।

फंड का प्रदर्शन

फंड के लंबी अवधि के प्रदर्शन पर रेटिंग तय होती है। कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है।

समीक्षा हर माह होती है

हर माह फंड रेटिंग की समीक्षा होती है। फंड साइज और कैटेगरी भी बड़ा पैमाना है। हर वेबसाइट पर फंड की अपनी रेटिंग होती है।

रेटिंग स्थायी नहीं है

म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार रेटिंग स्थायी नहीं होती है। आज जो फंड 5 स्टार रेटिंग वाला है वह कल टॉप पर नहीं हो सकता है। उसकी स्थिति कम या ज्यादा याने बदल भी सकती है।

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anilstockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is Trigger Point for buy/sell Based on the price range of the previous Month R1: Resistance one: 1st Resistance over PP. R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1.S1: Support one: 1st support after PP. S2: Support Two: 2nd support after S1. 1)

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and teh first target would be R1.2)
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1. 3)
- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
- Similarly if price goes below PP the trader should SELL and keep the PP as stop loss and the first target would be S1.
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1.
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	20047	19907	19772	19632	19497	19357	19222
BANK NIFTY	45690	45311	44948	44569	44206	43827	43464
ACC	2100	2065	2038	2003	1976	1941	1914
ALKYAMINES	2486	2445	2372	2331	2258	2217	2144
AXISBANK	1088	1064	1050	1027	1014	990	976
BHARTIARTL	974	955	941	921	906	887	872
CIPLA	1244	1221	1204	1181	1163	1141	1124
DLF	558	546	538	526	518	506	498
ESCORTS	3553	3448	3316	3211	3079	2974	2842
GSPL	299	295	288	284	277	273	266
GRINFRAPOJECT	1358	1319	1263	1224	1168	1129	1073
HDFCBANK	1566	1553	1540	1527	1514	1501	1487
HCLTECH	1310	1292	1264	1245	1216	1198	1169
HINDALCO	533	514	503	484	473	454	443
HINDUNILVR	2550	2527	2496	2473	2443	2419	2388
IRCT	717	704	693	680	668	656	645
ICICIBANK	989	975	964	949	937	923	912
IEX	140	137	135	132	130	127	125
INFY	1552	1521	1478	1447	1404	1373	1330
ITC	462	456	450	444	438	432	426
KOTAKBNK	1833	1811	1774	1751	1714	1691	1653
LT	3284	3171	3097	2984	2910	2797	2724
LUPIN	1297	1241	1206	1150	1115	1059	1024
MARUTI	10927	10824	10717	10614	10507	10404	10297
M&M	1676	1647	1600	1572	1525	1497	1450
MGL	1085	1064	1046	1024	1007	985	968
NCC	175	169	162	155	148	141	134
RELIANCE	2430	2405	2375	2350	2320	2295	2265
RECLTD	323	308	297	282	271	256	245
SBIN	617	609	604	596	591	583	578
SBICARD	827	816	803	792	779	767	755
SUNPHARMA	1225	1196	1177	1148	1130	1100	1082
TITAN	3433	3374	3261	3201	3089	3029	2917
TCS	3702	3658	3594	3549	3484	3440	3375
TATASTEEL	136	134	131	129	126	124	121
TATAMOTORS	659	646	638	625	617	604	596
UPL	432	425	415	409	399	393	384
WIPRO							

New 20% TCS from October 1, 2023: Be ready for a cash crunch if you invest in international stocks; how to reduce TCS impact

Starting October 1, a tax collected at source (TCS) of 20% will be levied on foreign remittances of more than Rs 7 lakh in a financial year, except in certain cases. If you directly invest in international stocks or planning to buy real estate abroad, you must know how the new TCS rule is going to impact your investment from tomorrow.

20% TCS from October 1, 2023: What changes for foreign investments?

At present, there is no TCS on foreign remittances up to Rs 7 lakh in a year. If investors remit more than Rs 7 lakh for investing in foreign securities under the Liberalised Remittance Scheme (LRS), a TCS of 5% is applied now.

TCS rates till September 30, 2023

Nature of payment

TCS rate

Overseas investments of up to Rs 7 lakh via LRS

Nil

Foreign investments of more than Rs 7 lakh via LRS

5%

Source: Ministry of Finance

What is going to change next month?

The Budget 2023 hiked TCS on foreign remittances of more than Rs 7 lakh through the LRS to 20% for investments in overseas assets, real estate, bonds, foreign company stocks, etc., says Raju Kumar, Tax Partner, EY India. The higher rate comes into effect on October 1, 2023. Here's the low-down on TCS and its implications for investors:

Let us assume you are an Indian resident investing directly in US stocks. You have already invested Rs 7 lakh in the financial year concerned, and want to put Rs 1 lakh more into your overseas broking account.

If you remit Rs 1 lakh to the broking account through a bank, Rs 20,000 will be deducted as TCS (by the bank) and only Rs 80,000 will go into the broking account.

So, if you wish to buy shares worth Rs 1 lakh (after exhausting the limit of Rs 7 lakh), you will have to deposit Rs 1.25 lakh. Only then will your brokerage account get Rs 1 lakh as 20% (which is Rs 25,000) will be deducted as TCS by the bank.

TCS rates from October 1, 2023

Nature of payment

TCS rate

Overseas investments of up to Rs 7 lakh via LRS

Nil

Foreign investments of more than Rs 7 lakh via LRS

20%

Source: Ministry of Finance

TCS is not an additional tax

You can adjust Rs 20,000 deducted as TCS against your tax liability while filing an income tax return (ITR). If you have no tax liability, you can get the TCS as refund. So TCS is not an additional income tax. It may create a cashflow crunch as the amount can be blocked till you get the refund. "With the increased TCS rate of 20%, there are likely to be cash-flow issues for the remitter include a wait time for a year or more to file the tax return and thereafter obtain a refund," says Lokesh Shah, Partner, IndusLaw.

Foreign investments: Know where TCS won't apply from October 1, 2023

TCS will not be applicable if an individual remits less than Rs 7 lakh in a year. "The threshold of Rs 7 lakh is applicable for each individual separately. One can remit this amount through his family members to be able to enjoy the threshold of Rs 7 lakh for each family member," says Ankit Jain, Partner, Ved Jain & Associates.

"Further, if the foreign investments are made through an entity rather than in the name of the individual, TCS will not be applicable. If A invests in B Inc. using an LLP where he and his wife are partners, TCS shall not be applicable as the remittance is not made under LRS," says Divakar Vijayasarathy, Founder, CEO, DVS Advisors.

You can also invest in the overseas markets through international mutual funds. "These mutual funds, while being based in India, invest in the stocks of foreign companies. Indians can invest in these mutual funds without attracting TCS," says Jain.

Claiming TCS while filing ITR: Know what documents you need

How can you claim TCS for your foreign investments while filing an ITR? Neeraj Agarwala, Partner, Nangia Andersen India, says, "You must ensure that the TCS is reflected in the form 26AS and must maintain the bank transaction note of the remittance to match the amount of remittance and TCS collected, along with the receipt of share purchase. Further, you must also file your income tax returns for claiming credit of the TCS and refund, where applicable."

Do remember that the tax collectors are also required to issue a TCS certificate as Form 27D to the taxpayer whose TCS has been collected, says Kumar, adding that this is adequate proof for claiming deduction.

20% TCS from October 1, 2023: Cash flow crunch

For those who pay advance tax, 20% TCS on foreign remittances over Rs 7 lakh may not be a dealbreaker as they can offset this amount against their advance tax payments. "However, for salaried individuals, the 20% TCS may lead to a cash flow issue as they will have to wait till the return filing date to claim a refund of the TCS amount," says Amit Singhania, Partner, Shardul Amarchand Mangaldas & Co.

curtsey: https://economictimes.indiatimes.com

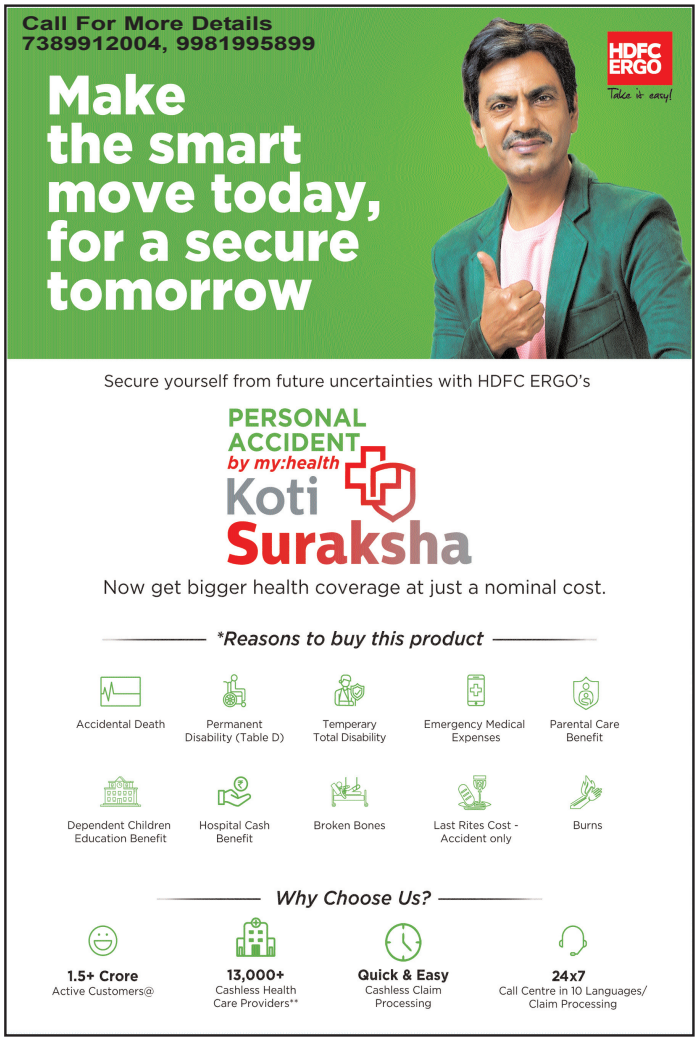

प्रीमियम देने से चूके तो पॉलिसी लैप्स

आखिर ग्रेस पीरियड के बाद कब तक मिलती जोखिम सुरक्षा? एक्सपर्ट से समझें

भोपाल। परिजनों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए व्यक्ति लाइफ और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है. चूंकि, बीमा पॉलिसी जोखिम सुरक्षा प्रदान करती है इसलिए इसके प्रीमियम का नियमित भुगतान करना भी जरूरी है. समय पर प्रीमियम नहीं जमा करने पर इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स और जोखिम सुरक्षा खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है. एलआईसी की इंश्योरेंस पॉलिसी के लैप्स होने और जोखिम सुरक्षा जारी रहने से जुड़े कुछ नियम हैं, जिनके बारे में ज्यादातर पॉलिसीधारक को स्पष्टता नहीं है. चूंकि बीमा पॉलिसी में जोखिम सुरक्षा ही महत्वपूर्ण होती है ऐसे में अगर पॉलिसीधारक की किसी छोटी-सी गलती से उसे इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ नहीं मिले तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है. आइये आपको बताते हैं समय पर इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान नहीं करने पर आखिर पॉलिसीधारक को क्या-क्या नुकसान होते हैं. अगर आप एलआईसी समेत किसी भी बीमा कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो कंपनी और एजेंट हमेशा ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे प्रीमियम का भुगतान तय समय या उससे पहले कर दें. इससे पॉलिसी के लैप्स होने और जोखिम सुरक्षा खत्म होने का खतरा नहीं रहता है. इसके अलावा, बाद में अतिरिक्त भुगतान के साथ प्रीमियम जमा कराने की झंझट से भी मुक्ति मिलती है. समय पर पॉलिसी प्रीमियम जमा नहीं करने पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लैप्स होने का खतरा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्यू डेट पर प्रीमियम अदा नहीं करने पर तुरंत पॉलिसी लैप्स नहीं होती है. पॉलिसी के लैप्स होने से जुड़े नियम भुगतान अवधि पर निर्भर करते हैं. इंश्योरेंस एडवाइजर स्वीटी मनोज जैन के अनुसार, यदि एलआईसी की किसी पॉलिसी में आपने भुगतान विधि मासिक चुनी है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है. वहीं, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक पेमेंट मोड में ग्रेस पीरियड का समय 30 दिन होती है. ग्रेस पीरियड के अंदर पॉलिसीधारक बिना किसी विलंब शुल्क के प्रीमियम का भुगतान कर सकता है, साथ ही इस दौरान उसे पूर्ण जोखिम सुरक्षा मिलती है. लेकिन, ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद जोखिम सुरक्षा मिलना बंद हो जाती है. इसके बाद आप पेनल्टी देकर पॉलिसी को चालू करा सकते हैं.

ग्रेस पीरियड के बाद पॉलिसी में जोखिम सुरक्षा से जुड़े नियम

» 1. यदि आप एलसआईसी की कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो 3 साल तक इसमें 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा. इसके बाद जोखिम सुरक्षा नहीं मिलती है, लेकिन पेनल्टी के साथ प्रीमियम जमा कराया जा सकता है.

» 2. पॉलिसी शुरू होने के 3 से 10 साल की अवधि के बीच प्रीमियम जमा कराने के लिए ग्रेस पीरियड की अवधि 30 दिन ही होती है लेकिन नॉर्मल रिस्क कवर 6 महीने तक मिलता है. हालांकि, इस दौरान पॉलिसी के साथ आने वाले राइडर्स का लाभ नहीं मिलेगा.

» 3. पॉलिसी के 10 साल पूरे होने के बाद भी ग्रेस पीरियड 30 दिन का होता है लेकिन रिस्क कवर पीरियड बढ़कर 12 महीने हो जाएगा.

» टर्म इंश्योरेंस के मामले में ग्रेस पीरियड की अवधि 30 दिन होती है लेकिन अगर आप इस अवधि में प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है. इसके बाद पॉलिसी रिवाइवल के लिए व्यक्ति दोबारा मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता है.

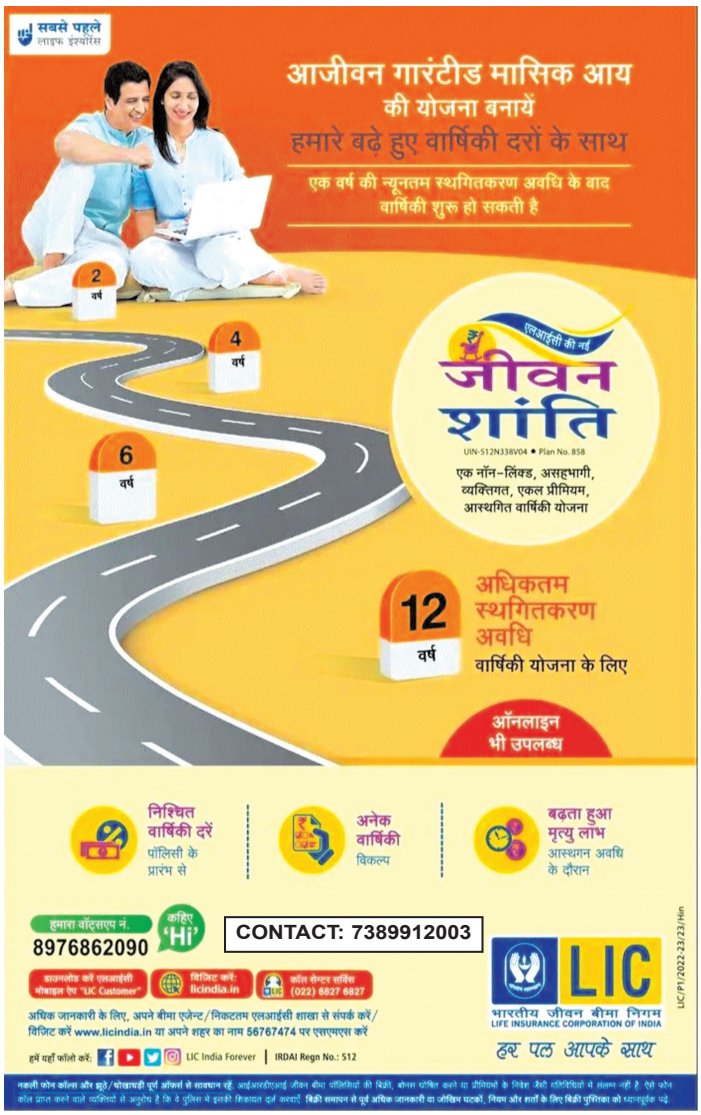

प्रकाशक एवं मुद्रक : प्रदीप करम्बेलकर, सी-101, नेहरू नगर द्वारा स्वात्वाधिकार विजन एडवायजरी सर्विसेस प्रा.लि. प्लॉट नं.-36, ई-सेकण्ड फ्लोर, जोन-2, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित एवं महक ग्राफिक्स एण्ड ऑफसेट, प्लॉट नं.-4, वैभव काम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक प्रदीप करम्बेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा) फोन : 91-0755-2555186, 2555217 वेबसाइट : 222.investmentavenues.in ईमेल : contactinvestmentavenues@gmail.com